## न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी– राजवीर सिंह चौधरी (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः 35/16

1. लक्ष्मी देवी पत्नि श्री लालूराम जाति वाल्मीकि निवासी वार्ड नं. 22 सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
2. मूलचंद
3. नंदकिशोर } पिसरान लालूराम जाति वाल्मीकि निवासी वार्ड नं. 22 सूरतगढ़
4. लाली } जिला श्रीगंगानगर
5. पूजा

**अपीलांट्स**

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़
2. तनसुख(फौत)

2/1 सुरेश कुमार पुत्र श्री तनसुख
2/2 सुशीला पुत्री श्री तनसुख
2/3 संतोष पुत्री श्री तनसुख
2/4 सुलोचना पुत्री श्री तनसुख
2/5 गीता पुत्री श्री तनसुख
} जाति वाल्मीकि निवासी वार्ड नं. 22 सूरतगढ़

2/6 डिम्पल पुत्री श्री रामकुमार पुत्र श्री तनसुख जाति वाल्मीकि निवासी वार्ड नं. 22 सूरतगढ़

3. पुरखाराम पुत्र बिशनाराम जाति वाल्मीकि निवासी वार्ड नं. 22 सूरतगढ़
4. राजेन्द्र
5. वीरेन्द्र } पिसरान श्री जयराम जाति वाल्मीकि निवासी वार्ड नं. 22 सूरतगढ़
6. नरेन्द्र
7. आशा देवी पुत्री श्री जयराम जाति वाल्मीकि निवासी वार्ड नं. 22 सूरतगढ़
8. सुमित्रा (फौत) पुत्री श्री जयराम

8/1 पांचोलाल
8/2 लखन
लूणकरणसर
} पिस. श्रीमती सुमित्रा देवी जाति वाल्मीकि निवासी महाजन तहसील

8/3 अजीत
8/4 सूरज

9. लालचंद (फौत) पुत्र श्री जयराम

9/1 पवन कुमार
9/2 सावन कुमार
}

10. जगदीश (फौत) पुत्र श्री जयराम

10/1 पुष्पा पत्नि श्री जगदीश
10/2 सुनील पुत्र श्री जगदीश
10/3 ज्योति पुत्री श्री जगदीश
} जाति वाल्मीकि निवासी वार्ड न. 22 सूरतगढ़

**रेस्पोडेंट्स**

अतिरिक्त जिला कलक्टर

Scanned by CamScanner

## अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः–

1. श्री अशोक छाबड़ा एडवोकेट अपीलांट्स की ओर से
2. श्री भगवानदत्त शर्मा एडवोकेट रेस्पोडेंट संख्या 2, 2.1, 2.6 की ओर से
3. पैरोकार राज तहसीलदार सूरतगढ़ की ओर से

## निर्णय

दिनांकः 04.09.2019

1. यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अंतर्गत तहसीलदार सूरतगढ़ के निर्णय दिनांक 03.09.2006 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी।

2. अपील मीमो संक्षेप में इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.09.2006 अपीलांट को सुने बिना, बिना साक्ष्य के एवं अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर भूमि पैराफेरी में आने व वेस्ट लैण्ड आवंटन नियम 1996 के अंतर्गत आराजी कब्जा काश्त को निरस्त किया गया है जो कि abnitio wrong की परिभाषा में आता है तथा प्राकृति न्याय के सिद्वांतों के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलांट्स के पति/पिता लालूराम को सामूहिक रूप से वर्ष 1970 में आराजी काश्त पर कस्बा सूरतगढ़ का खसरा नं. 477/01 की 0.253 हैक्टेयर, खसरा नं. 477/02 की 1.164 हैक्टेयर, खसरा नं. 477/03 की 3.719 हैक्टेयर, खसरा नं. 477/04 की 3.049 हैक्टेयर, खसरा नं. 478/02 की 2.206 हैक्टेयर, खसरा नं. 485/19 की 1.1910 हैक्टेयर कुल 12.701 हैक्टेयर भूमि तनसुखराम, पुरखाराम, लालूराम, जयराम पिसरान बिशनाराम कौम वाल्मीकि को सामूहिक रूप से आराजी काश्त पर भूमि आवंटित हुई थी जिसका समय–समय पर नवीनीकरण होता रहा व रकम कायम होती रही तथा कब्जा बदस्तूर बना रहा। उन्होंने उक्त भूमि को सुधार कर काबिल काश्त बनाया।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पटवारी हल्का ने पूर्णतया एक तरफा रिपोर्ट प्रस्तुत की कि अपीलांट का रकबा कुल 10.791 हैक्टेयर नगरपालिका की सीमा के 2 किलोमीटर की परिधि में आता है व शर्तों का उल्लंघन किया है। इस रिपोर्ट पर अपीलाधीन भूमि का टी.सी. आवंटन निरस्त करने बाबत किसी प्रकार का नोटिस विधिवत तामिल नहीं हुआ। तामिल कुंनिदा ने सरसरी तौर पर नोटिस की तामील दिखा दी जबकि लालूराम की मृत्यु वर्ष 1995 में ही (दिनांक 03.06.

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

Scanned by CamScanner

1995) हो चुकी थी। अतः मृत व्यक्ति के विरूद्ध नोटिस निकाला गया। जैर अपील निर्णय साइक्लोस्टाईल है जो निर्णय की परिभाषा में नहीं आता। अधीनस्थ न्यायालय को टी.सी. खारिज करने का अधिकार ही नहीं है। अपीलाधीन आदेशों में वेस्ट लैण्ड आवंटन नियम का हवाला दिया गया जबकि उक्त नियम 1996 में बने एवं प्रश्नगत भूमि वर्ष 1970 से ही भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत आवंटित होकर निरंतर कब्जे काश्त मे चली आ रही थी। अपीलांट्स को उक्त एक पक्षीय निर्णय की कतई जानकारी नहीं थी। वे जब तहसील के खातेदारी हेतु पता करने गए एवं नकल हेतु दिनांक 02.05.2016 को आवेदन किया एवं दिनांक 06.05.2016 को नकल प्राप्त होने पर दिनांक 09.05.2016 को अपील मय प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र पेश किया। अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय तहसीलदार सूरतगढ़ दिनांक 08.09.2006 को निरस्त किया जावे।

3. अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड मंगवाकर शामिल पत्रावली किया गया।

4. अपीलांट द्वारा दिनांक 07.05.2018 को रेस्पोडेंट नं. 2 तनुसख का देहांत दिनांक 24.01.2018 को हो जाना जाहिर करते हुए वारिसान को रिकॉर्ड पर लेने का आग्रह किया जिसे साथ पुनः दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया गया।

5. बहस प्रार्थना पत्र ऑर्डर 22 रूल 04, प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम व बहस अंतिम अपील पर सुनी गयी।

6. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट्स ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि तहसीलदार ने अपने अपीलाधीन आदेश में मृत व्यक्ति के नाम नोटिस जारी किया जो कि विधि विरूद्ध है। वारिसान को पक्षकार बनाये बिना की गयी कार्यवाही विधि विरूद्ध है। तहसीलदार को टी. सी. आवंटन निरस्त करने का अधिकार ही नही है। कई अवसरों पर माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने निर्णयों में यह प्रतिपादित किया है कि तहसीलदार टी.सी. आवंटन खारिज करने में सक्षम नहीं है। तहसीलदार सूरतगढ़ के राज्य सरकार के जिन परिपत्रों का हवाला निर्णय में दिया है वे इस मामले में लागू नहीं होते। राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्ते 1955 के अंतर्गत टी.सी. लीज को निरस्त करने की शक्तियां तहसीलदार को न होकर शर्त संख्या 19 के अनुसार शक्तियां

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ

Scanned by CamScanner

कलक्टर को दी गयी है। आपके कथनों के समर्थन में अधिवक्ता अपीलांट ने निम्नोक्त नजीरें पेशी की–

(क) आरबीजे(19) 2012 पेज नं.–110

(ख) निर्णय राजस्व मण्डल दिनांक 22.02.2013 अनवान मल्लूराम बनाम सरकार

(ग) आरएलडब्ल्यू 2016(1) पेज नं. 413

(घ) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम (कृषि भूमि आवंटन) संशोधन नियम 1970 की प्रति।

इसके अलावा खसरा गिरदावरी संवत् 2068–71 पेश की जिन्हें शामिल मिसल किया गया।

7. पैरोकार राज ने अपनी बहस में कथन किया कि उक्त रकबा पैराफेरी क्षेत्र में है जिसके खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

8. हमने बहस उभय पक्षकारान ध्यानपूर्वक सुनी तथा उस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम में अपीलांट ने देरी का जो कारण बताया है वह उचित व संतोषजनक प्रतीत होता है तथा इसका रेस्पोडेंट ने कोई विरोध भी नहीं किया। अतः अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है तथा प्रार्थना पत्र अंतर्गत ऑर्डर 22 रूल 04 सी.पी.सी. भी स्वीकार किया जाकर रेस्पोडेंट संख्या 2 के वारिसान को रिकॉड पर लिया जाता है।

9. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आलोच्य निर्णय दिनांक 08.09.2006 में यह तथ्य स्वीकार किया है कि रोही कस्ब सूरतगढ़ के खसरा नं. 477/1, 477/2, 477/3, 477/4, 478/4 कुल किता 05 रकबा 10.791 हैक्टेयर अपीलांट्स को टी.सी. आवंटन हुई थी जो संवत् 2061 तक नवीनीकृत होती रही। अपीलाधीन निर्णय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में उक्त टी.सी. आवंटन राज्य सरकार के परिपत्र राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर दिनांक 15.12.2005 व 08.02.2006 का हवाला देते हुए निरस्त की है। इसके अलावा राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्तें, 1955 व राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अतर्गत वेस्टलैण्ड हेतु बने सन् 1996 के नियमों के अंतर्गत उक्त आवंटन खारिज किया गया है। राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया परिपत्र दिनांक 15.12.2005 औद्योगिक या अन्य अकृषि प्रयोजनार्थ आवंटित भूमि के संबंध में है जो कि इस प्रकरण में लागू नहीं होते क्यों कि वादग्रस्त भूमि अपीलांटस को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटित की गयी थी। इसी प्रकार राज्य सरकार का परिपत्र क्रमांक प.9(25)राज./16/2004/4

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

Scanned by CamScanner

दिनांक 08.02.2006 शहरों में पैराफेरी क्षेत्र में आवंटित वेस्ट लैण्ड के संबंध में है जो कि इस प्रकरण में लागू नहीं होते। राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्ते 1955 के अंतर्गत टी.सी. लीज को निरस्त करने की शक्तियाँ तहसीलदार को न होकर शर्त संख्या 19 के अुनसार जिला कलक्टर महोदय को है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया आलोच्य निर्णय क्षेत्राधिकार विहीन है। साथ ही मृत व्यक्ति के वारिसान को रिकार्ड पर न लेकर मृत व्यक्ति के विरूद्ध परित किया गया है जो कि विधि विरूद्ध, त्रुटिपूर्ण है जो कि निरस्त किये जाने योग्य है। अधिवक्ता अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत यहाँ भली–भांति चस्पा होते हैं।

10. अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ़ का निर्णय दिनांक 08.09.2006 निरस्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड मय निर्णय प्रति के साथ लौटाया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 04.09.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(राजवीर सिंह चौधरी),
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
सूरतगढ़

अतिरिक्त कलेक्टर
सूरतगढ़
कोड नम्बर-8975
दिनांक

Scanned by CamScanner